

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIAएस.जी.-डी.एल.-अ.-02012025-259867
SG-DL-E-02012025-259867असाधारण
EXTRAORDINARYप्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 339]	दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 31, 2024/पौष 10, 1946	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 309
No. 339]	DELHI, TUESDAY, DECEMBER 31, 2024/ PAUSHA 10, 1946	[N. C. T. D. No. 309

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

fof/kj U k , oafO/kc h d k ZfoHkk

v f/k uk

दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2024

F. 14 (93)/LA/2024/jtsecylaw/1445-1454—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा के निम्नलिखित अधिनियम ने उप-राज्यपाल की सहमति दिनांक 25th October, 2024 को प्राप्त कर ली है और इसे जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है —

fnYy h eky , oal sk d j

1/2 akku 1/2 v f/kfu; e] 2024

1/2024 d k fnYy h v f/kfu; e 05 1/2

(27th September, 2024 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा यथा पारित){31st December, 2024}

दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 (2017 का 3) में आगे संशोधन करने के लिए इसे भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा इसे निम्नानुसार अधिनियमित किया जाए—

- 1- I klr 'k'k v kS c k k % (i) इस अधिनियम को दिल्ली माल एवं सेवा (संशोधन) अधिनियम, 2024 कहा जाए।
(ii) अधिनियम की धारा 2 से 5 उस तारीख को लागू होगी जिसे राज्य सरकार, आधिकारिक राजपत्र में

अधिसूचना द्वारा, नियुक्त कर सकती है और इस अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के लिए अलग-अलग तारीख नियुक्त की जा सकती है।

2. /Mj k 2 d k l a k s k u % दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (इसके पश्चात् दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम के रूप में संदर्भित) में, धारा 2 में, —

(क) खंड (80) के बाद, निम्नलिखित खंडों को सन्निविष्ट किया जायेगा, अर्थात: —

“(80क) “ऑनलाइन गेमिंग” का अभिप्राय इंटरनेट या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर गेम की पेशकश है और इसमें ऑनलाइन मनी गेमिंग भी शामिल है;

(80ख) “ऑनलाइन मनी गेमिंग” का अभिप्राय है ऑनलाइन गेमिंग जिसमें खिलाड़ी खेल, स्कीम, प्रतिस्पर्धा या कोई अन्य गतिविधि या प्रक्रियासहित किसी भी इवेंट में वर्चुअल डिजिटल संपत्तियों सहित पैसे या पैसे के मूल्य के जीतने की चाह से वर्चुअल डिजिटल संपत्ति सहित पैसे या पैसे के मूल्य का भुगतान या जमा करता है, चाहे उसका परिणाम या प्रदर्शन कौशल, अवसर या दोनों पर आधारित हो या नहीं और क्या यह उस समय लागू किसी अन्य कानून के अन्तर्गत स्वीकार्य है या अन्यथा;”

(ख) खंड (102) के बाद, निम्नलिखित खंड को सन्निविष्ट किया जाएगा, अर्थात: —

“(102क) “निर्दिष्ट कार्रवाई योग्य दावा” का अभिप्राय है इसमें या इसके माध्यम से शामिल कार्रवाई योग्य दावा—

(i) सट्टेबाजी;

(ii) कैसिनो;

(iii) जुआ;

(iv) घुड़दौड़;

(v) लॉटरी; या

(vi) ऑनलाइन मनी गेमिंग;”

(ग) खंड (105) में, निम्नलिखित प्रावधान को अंत में सन्निविष्ट किया जाएगा, अर्थात :—“बशर्ते कि एक व्यक्ति जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्दिष्ट कार्रवाई योग्य दावों की आपूर्ति का आयोजन या व्यवस्था करता है, जिसमें वह व्यक्ति भी शामिल है जो मालिक है, संचालित करता है या ऐसी आपूर्ति के लिए डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म का प्रबंधन करता है, उसे ऐसे कार्रवाई योग्य दावों का आपूर्तिकर्ता माना जाएगा, चाहे ऐसे कार्रवाई योग्य दावे उसके द्वारा या उसके माध्यम से आपूर्ति किए गए हों और ऐसी आपूर्ति के लिए वर्चुअल डिजिटल संपत्तियों सहित पैसे या पैसे के मूल्य पर विचार किया गया हो। कार्रवाई योग्य दावों का भुगतान या उसे या उसके माध्यम से सूचित किया जाता है या किसी भी तरीके से उसके निपटान में रखा जाता है, और इस अधिनियम के सभी प्रावधान निर्दिष्ट कार्रवाई योग्य दावों के ऐसे आपूर्तिकर्ता पर लागू होंगे, यदि वह ऐसे कार्रवाई योग्य दावों की आपूर्ति संबंध में कर का भुगतान करने के लिए आपूर्तिकर्ता उत्तरदायी है;”

(घ) खंड (117) के बाद, निम्नलिखित खंड सन्निविष्ट किया जाएगा, अर्थात: —

“(117क) “वर्चुअल डिजिटल संपत्ति” का वही अभिप्राय होगा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 के खंड (47क) में दिया गया है;

3. /Mj k 24 d k l a k s k u :— दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 24 में—

(क) खंड (xi) में, अंत में आने वाला शब्द “और” हटा दिया जाएगा;

(ख) खंड (xi) के बाद, निम्नलिखित खंड को सन्निविष्ट किया जाएगा, अर्थात: —

“(xi) प्रत्येक व्यक्ति जो भारत के बाहर किसी स्थान से भारत में किसी व्यक्ति को ऑनलाइन मनी गेमिंग की आपूर्ति करता है; और”।

4. v u q p h & III d k l a k s k u %

दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम की अनुसूची III में, पैराग्राफ 6 में, “लॉटरी, सट्टेबाजी और जुआ” शब्दों के स्थान पर “निर्दिष्ट कार्रवाई योग्य दावे” शब्दों को प्रतिस्थापित किया जायेगा।

5. v L F k ; h c k o / k u %

इस अधिनियम के अन्तर्गत किए गए संशोधन, सट्टेबाजी, कैसिनो, जुआ, घुड़दौड़, लॉटरी या ऑनलाइन गेमिंग को निषेध करने, प्रतिबंधित करने या विनियमित करने के प्रावधान तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य कानून के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होंगे।

समर विशाल, विशेष सचिव

DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS**NOTIFICATION**

Delhi, the 31st December, 2024

F. 14 (93)/LA/2024/jtsecylaw/1445-1454.—The following Act of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi received the assent of the Lt. Governor of Delhi on the 25th October, 2024 and is hereby published for general information.

THE DELHI GOODS AND SERVICES TAX (AMENDMENT) ACT, 2024**(DELHI ACT No. 05 OF 2024)**

(As passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on 27.09.2024).

[31st December, 2024]

An Act to further to amend the Delhi Goods and Services Tax Act 2017(3 of 2017)

BE it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Seventy-Fifth Year of the Republic of India as follows:-

1. Short title and commencement:- (i) This Act may be called the Delhi Goods and Services (Amendment) Act, 2024.

(ii) Section 2 to 5 of the Act shall come into force on such date as the State Government may, by notification, in the Official Gazette, appoint and the different date may be appointed for different provisions of this Act.

2. Amendment of section 2:- In the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017(here in after referred to as Delhi Goods and Services Tax Act), in section 2, —

(a) after clause (80), the following clauses shall be inserted, namely:—

'(80A) "online gaming" means offering of a game on the internet or an electronic network and includes online money gaming;

(80B) "online money gaming" means online gaming in which players pay or deposit money or money's worth, including virtual digital assets, in the expectation of winning money or money's worth, including virtual digital assets, in any event including game, scheme, competition or any other activity or process, whether or not its outcome or performance is based on skill, chance or both and whether the same is permissible or otherwise under any other law for the time being in force;';

(b) after clause (102), the following clause shall be inserted, namely:—

'(102A) "specified actionable claim" means the actionable claim involved in or by way of—

(i) betting;

(ii) casinos;

(iii) gambling;

(iv) horse racing;

(v) lottery; or

(vi) online money gaming;';

(c) in clause (105), the following proviso shall be inserted at the end, namely:— "Provided that a person who organises or arranges, directly or indirectly, supply of specified actionable claims, including a person who owns, operates or manages digital or electronic platform for such supply, shall be deemed to be a supplier of such actionable claims, whether such actionable claims are supplied by him or through him and whether consideration in money or money's worth, including virtual digital assets, for supply of such actionable claims is paid or conveyed to him or through him or placed at his disposal in any manner, and all the provisions of this Act shall apply to such supplier of specified actionable claims, as if he is the supplier liable to pay the tax in relation to the supply of such actionable claims;";

(d) after clause (117), the following clause shall be inserted, namely:—

'(117A) "virtual digital asset" shall have the same meaning as assigned to it in clause (47A) of section 2 of the Income-tax Act, 1961;

3. Amendment of section 24:-In the Delhi Goods and Services Tax Act, in Section 24, —

- (a) in clause (xi), the word "and" occurring at the end, shall be omitted;
- (b) after clause (xi), the following clause shall be inserted, namely:—

"(xia) every person supplying online money gaming from a place outside India to a person in India; and".

4. Amendment of Schedule-III

In Schedule III to the Delhi Goods and Services Tax Act, in paragraph 6, for the words “lottery, betting and gambling” the words “specified actionable claims” shall be substituted.

5. Transitory provision:-

The amendments made under this Act shall be without prejudice to provisions of any other law for the time being in force, providing for prohibiting, restricting or regulating betting, casino, gambling, horse racing, lottery or online gaming.

SAMAR VISHAL, Special Secy.